

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9/12 पार्ट


जयपुर, दिनांक : 14 SEP 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि 108 आपात कालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से 108 आपात कालीन सेवाओं के साथ साथ 104 जननी एक्सप्रेस, बेस एम्बुलेंस एवं 104 टोल फ्री चिकित्सा परामर्श सेवाओं का संचालन सेवा प्रदाता कम्पनी जीवीके ईएमआरआई के माध्यम से इनिटग्रेटेड एम्बुलेंस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है, के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्वारा दिनांक 14.09.2018 से आगामी छः माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।


राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(सुबेसिंह यादव)  
शासन विशिष्ट सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
5. विशिष्ट शासन सचिव, एवं मिशन निदेशक एनआरएचएम, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट्स, / पुलिस आयुक्त राजस्थान।
7. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त, राजस्थान।
8. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान।
9. निदेशक जन स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
10. स्टेट हेड, जीवीके ईएमआरआई झालाना जूंगरी जयपुर।
11. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक.....के राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. उप शासन सचिव गृह ग्रुप-6 विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।

14 SEP 2018

  
शासन विशिष्ट सचिव  
गृह (आपदा प्रबन्धन)विभाग